प्रपत्र आ.क.वि.- 7 को भरने के लिए अनुदेश
(विवरणी भरने से पहले इसे अलग कर लें)

1. अनुदेशों की कानूनी स्थिति

यद्यपि इन अनुदेशों को गैर सांविधिक कहा गया है, फिर भी इस प्रपत्र में ब्यौरों को भरने के लिए इन्हें दिशा निर्देश के रूप में लिया जा सकता है । किसी संदेह के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 तथा आयकर नियमावली, 1962 के संगत प्रावधानों का संदर्भ लिया जा सकता है।

2. कर निर्धारण वर्ष जिसके लिए यह प्रपत्र लागू है

यह प्रपत्र कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए ही लागू है ।

3. इस प्रपत्र का इस्तेमाल कौन कर सकता है

यह प्रपत्र कम्पनियों सहित उन व्यक्तियों द्वारा इस्तेमालमें लाया जा सकता है जिन्हें धारा 139(4क) के अन्तर्गत अथवा धारा 139(4ख) अथवा धारा 139 (4ग) के अन्तर्गत अथवा धारा 139 (4घ) के अन्तर्गत विवरणी दाखिल करना अपेक्षित है।

4. इस प्रपत्र को दाखिल करने का तरीका

यह प्रपत्र कागज प्रपत्र में दाखिल किया जाना है।

5. पावती भरना

इस प्रपत्र के साथ संलग्न पावती पर्ची को विधिवत भरा जाए।

6. प्रपत्र दो प्रतियों में नहीं भरा जाएगा।

इस प्रपत्र को दो प्रतियों में दाखिल किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

7. धारा 143(1) के अन्तर्गत कार्रवाई की सूचना

विवरणी की पावती को धारा 143 (1) के अन्तर्गत कार्रवाई की सूचना समझा जाता है । कर दाता को अलग से कोई सूचना तब तक नहीं भेजी जाएगी जब तक कोई डिमांड अथवा प्रतिदाय नहीं होगी ।

8. कानून की संक्षिप्त योजना

(1) कुल आय की संगणना

(क) "पूर्व वर्ष" वह वित्त वर्ष (1 अप्रैल से अनुवर्ती 31 मार्च तक) है जिसके दौरान संबंधित आय अर्जित की गई है । "कर निर्धारण वर्ष" पूर्व वर्ष के तुरन्त बाद का वित्त वर्ष है ।

(ख) कर **"कुल आय"** पर प्रभार्य होता है ; इसका एक निश्चित तकनीकी आशय है ।

(ग) सकल आय को निम्नलिखित क्रम में निम्नवत संगणित किया जाना है:

(i) निम्नलिखित आय शीर्ष के अन्तर्गत आय की सभी मदों को वर्गीकृत करें; (क) "गृह सम्पत्ति से आय" ; (ख) "कारोबार अथवा व्यवसाय से लाभ तथा अनुलाभ" ; (ग)

“पूंजीगत अभिलाभ” तथा (घ) “अन्य स्रोतों से आय” (इन आय शीर्षों के एक अथवा उससे अधिक शीर्ष के अन्तर्गत कोई आय नहीं हो सकती है)

(ii) अनुसूचियों जिन्हें इन संगणनाओं को करने के लिए आपकी सहायता हेतु निर्मित किया गया है, में अलग से आय के प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत चालू वर्ष (अर्थात पूर्व वर्ष) की कराधेय आय की संगणना करें । करदाताअ की अन्य श्रेणियों के मामले में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार संगणना के आधार पर वाणिज्यिक भाव में अर्जित की गई वास्तविक आय के आधार पर अनुसूचियों में शीर्षवार संगणना निर्मित की गई है ।

(iii) कानून द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार चालू वर्ष की शीर्षवार आय के विपरीत चालू वर्ष की शीर्षवार क्षति (क्षतियों) का प्रतितुलन करना । ऐसे प्रतितुलन के लिए अलग अनुसूची का प्रावधान किया गया है ।

(iv) उपर्युक्त (iii) के उपरान्त उपलब्ध शीर्षवार अंतिम परिणामों को जोड़े ; इससे आपको “सकल आय” प्राप्त होगी ।

(v) सकल आय से धारा 10 एवं 11 के अन्तर्गत छूट प्राप्त राशि को घटाएं ताकि सकल कुल आय प्राप्त हो सके ।

(vi) सकल कुल आय से आय कर अधिनियम के अध्याय-VI क में उल्लिखित “कटौतियों” को घटाएं जैसा कि कानून द्वारा प्रक्रिया विहित की गई है। परिणाम कुल आय होगी। इसके अतिरिक्त, दर प्रयोजनों के लिए कृषि आय की गणना करें।

(2) कर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में आयकर, अधिभार, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर तथा ब्याज की संगणना

(क) छूट, यदि लागू हो, की अनुमति देने के उपरान्त कुल आय पर संदेय आय कर की गणना करें। इनमें कर संगणना प्रक्रिया में यथा विहित दर के प्रयोजनार्थ कृषि आय शामिल है ।

(ख) कानून द्वारा यथा विहित उपर्युक्त देय कर पर अधिभार जोड़े (रिबेट के बाद)

(ग) माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सहित (रिबेट के बाद) जमा अधिभार पर शिक्षा उपकर जोड़ें ।

(घ) कानून द्वारा यथा विहित संदेय ब्याज जोड़े ताकि कुल कर, अधिभार तथा देय कर को प्राप्त किया जा सके।

(ड.) “ स्रोत पर कर कटौती”, “ स्रोत पर कर वसूली”, “ अग्रिम कर” तथा “ स्व निर्धारण कर” जैसे पूर्व संदत्त करों, यदि कोई हो, की राशि की कटौती करें । परिणाम संदेय कर (अथवा प्रतिदेय) होगा ।

3. विवरणी दाखिल करना

(क) आय की विवरणी निम्नलिखित में से किसी तरीके से दाखिल की जा सकती है;

(i) धारा 139(1) के अन्तर्गत : अर्थात कानून द्वारा निर्धारित “नियत तिथि” के भीतर ; अथवा

(ii) धारा 139(1) के साथ पठित धारा 139(3) के अन्तर्गत जहां किसी क्षति को आगे ले जाना है; अर्थात कानून द्वारा विनिर्धारित “नियत तिथि” के भीतर ।

(iii) धारा 139(4) के अन्तर्गत ; अर्थात “नियत तिथि “ की समाप्ति के उपरान्त किन्तु संगत कर निर्धारण वर्ष के अन्त से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व।

(iv) धारा 142(1) के अन्तर्गत ; अर्थात विवरणी मंगाने वाले सांविधिक नोटिस के अनुसरण में ;

(v) धारा 148 के अन्तर्गत अर्थात कुल आय के कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण के लिए धारा 149 के अन्तर्गत सांविधिक नोटिस के अनुसरण में जिसे या तो कर निर्धारित नहीं किया गया है अथवा पहले कम कर निर्धारित किया गया है ;

(vi) धारा 153क/ 153ग के अन्तर्गत : धारा 153क (क) के अन्तर्गत नोटिस के अनुसरण में ;

(vii) धारा 139 (1) अथवा धारा 139(3) अथवा 142(1) के अन्तर्गत दाखिल विवरणी को संगत कर निर्धारण वर्ष के समाप्ति से एक वर्ष के भीतर अथवा कर निर्धारण वर्ष के पूरा होने के पहले, जो भी पहले हो, नई विवरणी दाखिल करके किया जा सकता है;

(viii) अधूरी तथा गलत विवरणियों को दोषपूर्ण [धारा 139(9)] अथवा अमान्य ठहराया जाएगा। यदि दोषपूर्ण ठहराया जाता है तो दोषों को दूर करने के लिए समय (सामान्यतया 15 दिन, कुछ परिस्थितियों में बढ़ाया जाने योग्य) दिया जाएगा।

(ख) अधूरी तथा गलत विवरणियों को दोषपूर्ण [धारा 139 (9)] अथवा अमान्य ठहराया जाएगा । यदि दोषपूर्ण ठहराया जाता है तो दोषों को दूर करने के लिए समय (सामान्यतया 15 दिन, कुछ परिस्थितियों में बढ़ाया जाने योग्य) दिया जाएगा।

4. आय की विवरणी दाखिल करने की बाध्यता

(क) धारा 139(4क) के अधीन विवरणी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दाखिल किए जाने की अपेक्षा है जिसे पूर्णतया पुण्यार्थ अथवा धार्मिक प्रयोजनों अथवा ऐसे प्रयोजनों के लिए आंशिक रूप से किसी न्यास अथवा अन्य कानूनी दायित्व के अन्तर्गत धारित सम्पत्ति से आय अथवा धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (झझक) में संदर्भित स्वैच्छिक चंदे, के

नाते आय प्राप्त करता है, यदि उसकी कुल आय जिसके संबंध में वह प्रतिनिधि कर निर्धारिती के रूप में कर निर्धारण योग्य (धारा 11 तथा 12 के प्रावधानों को प्रभावी किए बिना इस अधिनियम के अन्तर्गत संगणित की जा रही है इसके निमित्त कुल आय) उस अधिकतम राशि से अधिक है जो आयकर प्रभार्य नहीं है।

(ख) राजनैतिक दल द्वारा धारा 139(4ख) के अन्तर्गत विवरणी दाखिल किया जाना अपेक्षित है यदि धारा 139क के प्रावधानों को प्रभावी किए बिना कुल आय अधिकतम राशि जो आयकर प्रभार्य नहीं है, से अधिक है।

(ग) धारा 139 (4ग) के अन्तर्गत प्रत्येक द्वारा विवरणी दाखिल करना अपेक्षित है-

(i) धारा 10 (21) में संदर्भित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ;

(ii) धारा 10 (22ख) में संदर्भित न्यूज एजेंसी;

(iii) धारा 10 (23क) में संदर्भित संघ अथवा संस्था;

(iv) धारा 10 (23ख) में संदर्भित संस्था;

(v) धारा 10 (23ग)(iv)/(v)/(vi) में संदर्भित निधि अथवा संस्था अथवा विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षिक संस्थान अथवा कोई अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्थान। यदि धारा 139(4ग) में उल्लिखित शर्तें पूरी की जाती हो।

(घ) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) तथा खंड (ii) में संदर्भित प्रत्येक विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्थान द्वारा धारा 139(4घ) के अन्तर्गत विवरणी दाखिल की जानी अपेक्षित है, जिन्हें इस धारा के किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत आय अथवा हानि की विवरणी दाखिल करना अपेक्षित नहीं है ।

(ङ.) ऐसे व्यक्ति द्वारा भी आय विवरणी दाखिल की जानी अपेक्षित है यदि उसकी कुल आय धारा 10क अथवा धारा 10ख अथवा धारा 10खक अथवा अध्याय-VI क के अन्तर्गत कटौती की अनुमति देने से पहले उस अधिकतम राशि से अधिक है जो आय कर प्रभार्य नहीं है।

(च) हानियों को तब तक आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक नियत तिथि को अथवा उससे पहले विवरणी दाखिल नहीं कर दी गई है ।

(छ) धारा 10क,10ख, 80झक, 80झकख, 80झख तथा 80झग के अन्तर्गत कटौती की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक विवरणी नियत तिथि को अथवा उससे पूर्व दाखिल न कर दी गई हो।

9. प्रपत्र की योजना

इस प्रपत्र की योजना कानून की स्कीम के अनुसार है जो इसके मूल प्रपत्र में दर्शाई गई है । इस प्रपत्र को तीन भागों में विभाजित किया गया है। इसमें सत्रह अनुसूचियां भी हैं । इन भागों तथा अनुसूचियों के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

(i) प्रथम भाग, अर्थात भाग क विवरणी के प्रथम पृष्ठ पर है। इसमें पहचान संबंधी आंकड़ों के लिए अपेक्षित सामान्य जानकारी मांगी गई है।

(ii) दूसरा भाग, पृष्ठ 2 पर भाग ख कर प्रभार्य आय के संबंध में कुल आय की रूपरेखा एवं कर संगणना के संबंध में है ।

(iii) तीसरा भाग अर्थात पृष्ठ 3 एवं 4 पर भाग ग अनुषंगी लाभ करों के मूल्य की रूप रेखा तथा कर प्रभार्य अनुषंगी लाभों के संबंध में कर संगणना से है।

(iv) भाग ग के उपरान्त, पृष्ठ 4 पर एक सारणी है जिसमें इस प्रपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों/ विवरणों की संख्या भरी जानी अपेक्षित है। इस सारणी के उपरान्त, सांविधिक सत्यापन के लिए स्थान है।

(v) अनुसूची-कः गृह सम्पत्ति से आय शीर्ष के अन्तर्गत आय की संगणना।

(vi) अनुसूची-खः कारोबार अथवा व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अन्तर्गत आय की संगणना।

(vii) अनुसूची-गः पूंजीगत अभिलाभ शीर्ष के अन्तर्गत आय की संगणना।

(viii) अनुसूची-घः अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के अन्तर्गत आय की संगणना।

(ix) अनुसूची-ड. धारा 71 के अन्तर्गत चालू वर्ष की हानियों के प्रतितुलन का विवरण।

(x) अनुसूची-चः कुल आय का विवरण।

(xi) अनुसूची-छः कुल आय पर करों का विवरण।

(xii) अनुसूची-जः सामान्य सूचना एवं छूट आय का ब्यौरा।

(xiii) अनुसूची-झः गत ग्यारह वर्षों में अर्थात चालू कर निर्धारण वर्ष से संगत पूर्व वर्षों अथवा दस पूर्व कर निर्धारण वर्षों में धारा 11(2) के आशय के भीतर संचित/ अलग की गई राशि का ब्यौरा।

(xiv) अनुसूची- ञ: धारा 115 ख के अन्तर्गत खाता लाभ।

(xv) अनुसूची- ञ क: धारा 115ञ क क के अन्तर्गत कर क्रेडिट।

(xvi) अनुसूची-टः पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को न्यास अथवा संस्थान की सभी निधियों के निवेश को दर्शाने वाला विवरण।

(xvii) अनुसूची-ठः न्यास अथवा संख्या के निर्माता/संस्थापक/न्यासियों/ प्रबंधकों आदि से संबंधित ब्यौरों का विवरण।

(xviii) अनुसूची ठकः राजनीतिक दल के मामले में ब्यौरा।

10. भागों तथा अनुसूचियों को भरने के लिए दिशानिर्देश

(1) सामान्य

(i) सभी मदें उसमें उल्लिखित तरीके में भरी जानी चाहिए; अन्यथा विवरणी दोषपूर्ण करार दी जा सकती है अथवा यहां तक अमान्य की जा सकती है।

(ii) यदि कोई अनुसूची लागू नहीं है तो "....ला नहीं....." लिखा जाए।

(iii) यदि कोई मद लागू नहीं है तो मद के सामने "....ला नहीं....." लिखें।

(iv) शून्य आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए "शून्य" लिखें।

(v) प्रपत्र में यथा प्रावधानित को छोड़कर नकरात्मक आंकड़े/ क्षति के आंकड़े के लिए ऐसे आंकड़े के पहले " -----------" लिखें।

(vi) सभी आंकड़ों को एक रूपए के निकटतम तक पूर्ण किया जाए तथापि संदेय कर को दस रूपए के निकटतम गुणक तक अंतिम रूप से पूर्ण किया जाए।

(2) भागों को तथा अनुसूचियों को भरने के लिए क्रम

आपसे अनुरोध है कि शीटों को भरने के लिए निम्नलिखित क्रम का अनुसरण करें।

(i) भाग कः

(ii) अनुसूची-कः से अनुसूची-घ;

(iii) अनुसूची ड. हानियों के प्रतितुलन, आदि से संबंधित;

(iv) अनुसूची चःकुल आय का विवरण;

(v) अनुसूची छः कुल आय पर कर का विवरण;

(vi) अनुसूची जः सामान्य सूचना;

(vii) अनुसूची झः गत 11 वर्षों में धारा 11(2) के आशय के भीतर संचित/ अलग रखी गई राशि का ब्यौरा।

(viii)अनुसूची ञः धारा 115ञ ख के अन्तर्गत खाता लाभ;

(ix) अनुसूची ञ कः धारा 115ञ क क के अन्तर्गत कर क्रेडिट;

(x) अनुसूची टः पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को न्यास अथवा संस्था की सभी निधियों के निवेश को दर्शाने वाला विवरण;

(xi) अनुसूची ठःन्यास अथवा संस्था के निर्माता(निर्माताओं)/ संस्थापक (संस्थापकों)/ न्यासी (न्यासियों)/ प्रबंधक (प्रबंधकों) आदि से संबंधित ब्यौरों का विवरण;

(xii) अनुसूची ट कः राजनीतिक दल के मामले में ब्यौरा;

(xiii) भाग खः कुल आय तथा उन पर कर की संगणना;

(xiv) सत्यापन

(3) भागों तथा अनुसूचियों का भरने के लिए आवश्यक अनुदेश निम्नवत हैं -

(क) **भाग-कः** सभी मदें स्वतः स्पष्ट हैं

(क) पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है।

(ख) इस प्रपत्र को भरने के लिए पूरी तरह स्पष्ट अक्षरों का प्रयोग करें।

(ग) आवास तथा प्रस्थिति के लिए कोड।

भारत में आवास	कोड
निवासी	01
अनिवासी	02
निवासी किन्तु सामान्यतया निवासी नहीं	03

प्रस्थिति	कोर्ड
(क) व्यष्टि	01
(ख) हिन्दू अवभाजित परिवार (अधोलिखित से भिन्न)	02
(ग) हिन्दू अवभाजित परिवार जिसके कम से कम एक सदस्य की पूर्व वर्ष की कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है जो कर प्रभार्य नहीं है।	03
(घ) अपंजीकृत फर्म	04
(ड.) पंजीकृत फर्म/ फर्म (व्यवसाय में संलग्न फर्म से भिन्न)	05
(च) पंजीकृत फर्म/ व्यवसाय में संलग्न फर्म	06
(छ) व्यक्तियों का संघ (ए ओ पी)	07
(ज) व्यक्तियों का संघ (न्यास)	08
(झ) व्यष्टियों का निकाय (बी ओ आई)	09
(ञ) कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति	10
(ट) सहकारी समिति	11
(ठ) स्थानीय प्राधिकरण	16

(घ) **मद 15:** धारा का उल्लेख करें जिसके अन्तर्गत विवरणी दाखिल की जाती है तथा यह भी उल्लेख करें कि क्या विवरणी मूल विवरणी है अथवा संशोधित विवरणी : देखें उपर्युक्त कानून की संक्षिप्त योजना ।

(ड.) **मद 17:** इसमें पूछा गया है कि क्या आप अपनी विवरणी पहली बार दाखिल कर रहे हैं ।

(ख) अनुसूची-कः गृह सम्पत्ति से आय

(i) यदि एक से अधिक गृह सम्पत्तियां हैं तो पहले प्रत्येक गृह सम्पत्ति के लिए अलग से संगणना की जानी चाहिए तथा तब उन्हें संकलित किया जाना चाहिए। अतिरिक्त गृह सम्पत्तियों के लिए पृष्ठ की फोटो प्रतियां इस्तेमाल करें।

(ii) मद **1:** इस्तेमाल की गई शीटों की कुल संख्या (अलग गृह सम्पत्तियों की कुल संख्या) के लिए (क) लिखें तथा प्रत्येक शीट पर व्यक्तिगत शीट संख्या के लिए (ख) लिखें ।

(iii) मद 2 से 15**:** इन्हें प्रत्येक गृह सम्पत्ति के लिए अलग से दाखिल किया जाए:

- मद 4: निर्मित क्षेत्र: दीवार तथा सामान्य क्षेत्र सहित।
  भू-अनुषंगी: सम्पत्ति से संबंद्ध तथा जो सम्पत्ति को एक अभन्न अंग है।
  वार्षिक किराए पर देने योग्य मूल्य: राशि जिसके लिए गृह सम्पत्ति को नोशनल आधार पर वर्ष दर वर्ष किराए पर दिए जाने की पूरी संभावना हो सकती है ।
- मद 5: यहां पर वार्षिक किराए पर देने योग्य मूल्य अथवा पूरे वर्ष के लिए प्राप्त/ पर्ारय किराया, जो भी अधिक हो, को दर्शाएं । स्वयं के आवास के लिए इस्तेमालकिए गए स्वधारित सम्पत्ति गृह के संबंध में, अथवा जो खाली है तथा आपके रोजगार का स्थल अलग होने के कारण जिसको इस्तेमालनहीं किया जा सकता है, इस मद में उल्लिखित किए जाने वाले मूल्य को शून्य समझा जा सकता है तथा मद 6 एवं 7 को भरे जाने की आवश्यकता नहीं है।
- मद 6: धारा 23 क अन्तर्गत ग्राहय कटौतियों के लिए यहां दावा करें, जैसे कि:-

(क) नगर करः कोई कर निर्धारिती कटौती के लिए दावा तभी कर सकता है यदि सम्पत्ति किसी किराएदार के कब्जे में है तथा ऐसे करों को वहन कर निर्धारिती द्वारा तथा न की किराएदार द्वारा किया जाता है तथा उसका वास्तविक भुगतान वर्ष के दौरान कर दिया गया है। कृपया ऐसे भुगतान का प्रमाण संलग्न करें।

(ख) नियम 34 के अधीन धारा 23 (झ) के नीचे स्पष्टीकरण को देखते हुए न वसूला गया किराया।

- मद 8: यह आंकड़ा वार्षिक मूल्य को प्रदर्शित करता है।
- मद 9: यहां धारा 24 के अन्तर्गत दावा की गई कटौतिंयों का उल्लेख करें।

  (क) वार्षिक मूल्य का 30%

  (ख) उधार ली गई पूंजी पर ब्याज।

- मद 12: किराए पर दी गई सम्पत्ति के मामले में न वसूले गए किराए के लिए कटौती उपलब्ध है। यदि ऐसी कोई कटौती पूर्व कर निर्धारण वर्ष में ली गई है, तथा न वसूला गया ऐसा किराया वास्तव में संबंधित कर निर्धारण वर्ष में प्राप्त हुआ है, इस प्रकार प्राप्त किए गए वसूले न गए किराए को इस मद के सामने दर्शाया जाना हैं।

- मद 13 इसका संबंध भूतलक्षी प्रभाव से किराये की वृद्धि से है। यहां पिछले वर्षों का प्राप्त अतिरिक्त किराया तथा प्राप्त ऐसे किराए बकाया के 30% की दर से कटौती दावे का उल्लेख करें ।
- मद 16 से 17 मद 2 से 15 के अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्तिवार संगणनाअ का कुल योग

(ग) अनुसूची ख व्यवसाय अथवा कारोबार का लाभ एवं अनुलाभ।

(I) सामान्य

(क) मद 1: यथा लागू एक अथवा एक से अधिक खानों में टिक करें।

(ख्) मद 3: किसी एक खाने को टिक करें । कानून दो तरीकों में से एक तरीके के ही इस्तेमाल की अनुमति देता है।

(ग) मद 4 से 5: इसका संबंध में कर निर्धारण वर्ष के ठीक परवर्ती वाले कर निर्धारण वर्ष में लेखांकन पद्धति में परिवर्तन से है।

(घ) मद 7 से 8: इसका संबंध कर निर्धारण वर्ष के ठीक परवर्ती वाल कर निर्धारण वर्ष में स्टाक मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन से है।

(ड.) मद 9: धारा 44क क कुछ कारोबार तथा व्यवसायों के लिए लेखा के अनिवार्य अनुरक्षण को विहित करती है।

(च) मद 10: धारा 44ख (क) तथा (ख) कारोबार तथा व्यवसाय के लिए अनिवार्य लेखा परीक्षा विहित करती है जहां बिक्रियां कारोबार अथवा सकल प्राप्तियां निर्धारित राशि से अधिक हैं ।

(छ) मद 11: धारा 44क ख (ग) अनिवार्य कर लेखा परीक्षा को विहित करती है जहां व्यवसाय अथवा कारोबार के लाभ तथा अनुलाभ अनुरक्षित खातों के अनुसार दर्शाएं नहीं गए हैं, किन्तु धारा 44क घ, अथवा 44क ड. अथवा 44क च के अन्तर्गत अनुमानित आंकड़े विहित किए गए हैं।

(ज) मद 12 से 13: 44कख में यह विहित किया गया है कि (क) कतिपय विहित तिथि तक कर लेखा परीक्षा करा ली जाए तथा

(ख) धारा 139 (1) में यथा परिभाषित आय की विवरणी भरने के लिए नियत तिथि के भीतर कर लेखा परीक्षा पूरी कर ली जाए।

(II) सट्टा कारोबार से भिन्न व्यवसाय अथवा कारोबार से प्राप्त आय की संगणना।

(क) कारोबार से प्राप्त आय की संगणना "कारोबार अथवा व्यवसाय के लाभ एवं अनुलाभ" शीर्ष के अन्तर्गत सांविधिक प्रावधानों के अनुसार की जानी अपेक्षित है, धारा 11(4) जिसमें यह प्रावधान है कि इस प्रकार संगणित आय यदि खाते में दर्शाई आय से अधिक है, के आलोक में ऐसी अतिरिक्त आय कर प्रभार्य है।

(ख) यदि प्रत्येक कारोबार के लिए अलग खाते रखे जा रहे हैं तो अलग अलग शीटों पर कारोबार वार संगणनाएं की जा सकती हैं तथा समेकित आंकड़े मद 14 से 26 में दिए जाएं ।

(ग) मद 14: यह मद समेकित पी एंड एल खाते से संबंधित है। यदि अलग कारोबार के लिए अलग अलग पी एंड एल खाते रखे जाते हैं, तो समेकित पी एंड एल खाता तैयार करने के लिए ऐसे सभी खातों को मिलाया जाए।

(घ) मद 15: लेखांकन तथा / अथवा स्टाक के मूल्यांकन पद्धति में किसी परिवर्तन से खातों में यथा परिलक्षित चालू वर्ष के लाभों में समायोजन की आवश्यकता पड़ सकती है, यहां ऐसे समायोजन का उल्लेख करें।

(ड.) मद 16, (i) से (iv): धारा 44कघ, 44कड. तथा 44कच कुछ विहित परिस्थितयों में अनुमानित आंकड़ों पर कुछ विनिर्दिष्ट कारोबार के लाभों की संगणना की अनुमति देती हैं। इन मदों के लिए यह प्रावधान किया गया है कि 16(i) का प्रथम आशय ऐसे विनिर्दिष्ट कारोबार (कारोंबारों) के पी एंड एल खाता के लाभ (लाभों)/ क्षति(क्षतियों) से हटाने से है और 16(ii), (iii) और (iv) का आशय परिस्थितियों में अनुमानित आंकडा (आंकडों) से उक्त लाभ (लाभों)/ क्षति (क्षतियों) को प्रतिस्थापित करने से है।

(च) मद 17: इस मद का आशय पी एंड एल खाते से उस आय को हटाना है जिसे प्रभार्यता से छूट प्राप्त है। कटौती योग्य राशि छूट प्राप्त आय अर्जित करने के लिए खर्च किए गए व्यय का निवल होगी- धारा 14क।

(छ) मद 18: धारा 10क, 10ख तथा 10ग कुछ विनिर्दिष्ट कारोबारों की आय को कर से छूट का दावा करने की अनुमति देती है। इस मद का आशय ऐसी आय (आयों) को लाभों/ अभिलाभों की संगणना से मिटाना है।

(ज) मद 19: धारा 28 में कारोबार लाभ मानी गई कतिपय आय को परिभाषित किया गया है। यहां ऐसी मद (मदें) शामिल करें यदि मद 14 में पहले शामिल नहीं की गई है।

(झ) मद 20: कुछ धाराएं जैसे 33कख कुछ परिस्थितियों में आय माने जाने वाली कुछ राशियों को परिभाषित करती हैं । यहां तदनुरूपी धारा (धाराएं) के साथ ऐसी राशि(राशियों) का उल्लेख करें।

(ञ) मद 21: 35क जैसी कुछ धाराओं में अनेक वर्षों में वार्षिक किस्तों में कुछ व्यय की छूट का प्रावधान है। यहां तदनुरूपी धारा (धाराओं) के साथ साथ ऐसी राशि (राशियों) का उल्लेख करें।

(ट) मद 22: धारा 44ख, 44खख तथा 44खखक में अनुमानित आधार पर कुछ कारोबार के लाभों की संगणना का प्रावधान है जिससे पी एंड एल खाते में परिलक्षित ऐसे कारोबार (कारोबारों) के लाभ (लाभों)/ हानि (हानियों) के समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। इस मद का आशय ऐसे समायोजन से है।

(ठ) मद 23: यह मद अन्य सांविधिक समायोजनों के लिए हे जो विशिष्ट रूप से ऊपर अथवा मद 24 एवं 25 में लिखे नहीं गए हैं । यहां समायोजन(समायोजनों) की धारा (धाराओं) तथा राशि (राशियों) सकारात्मक अथवा नकारात्मक तथा निवल समायोजन का उल्लेख करें।

(ड) मद 24: खाते में यथा अंगीकृत डब्ल्यू डी वी के परिकलन सहित मूल राशि का परिकलन आय कर कानून द्वारा विहित परिकलन से अलग हो सकता है तथा इससे समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। यहां ऐसे समायोजन का उल्लेख करें।

(ढ) मद 25: धारा 35(1)(iv) में वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय की अनुमति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा इससे समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। यहां ऐसे समायोजन का उल्लेख करें।

(ण) मद 26: यह चालू वर्ष के लिए मद 14 से 25 में अन्तर्ग्रस्त संगणना का अंतिम परिणाम है। यह परिणाम सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। उप मद (i)

में सट्टा कारोबार से भिन्न कारोबार तथा व्यवसाय के लाभों तथा अभिलाभों का उल्लेख किया गया है। उप मद (ii) में प्रतिभूति संव्यवहार कर प्रभार्य कारोबार से लाभों तथा अभिलाभों का उल्लेख किया गया है।

(III) सट्टा कारोबार से आय की संगणना

(क) मद 28: यहां सभी समायोजनों के निवल परिणाम का उल्लेख करें

(ख) मद 29: यह मद 27 तथा 28 में अन्तर्ग्रस्त संगणनाअ का अंतिम परिणाम है। यहां आंकड़ा सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है।

(ग) मद 30 यदि मद 26 नकारात्मक है तो मद 29 के सकारात्मक आंकड़े की सीमा तक यहां उस (नकारात्मक) आंकड़े का उल्लेख करें।

(घ) यह मद 29 से मद 30 की कटौती करने का परिणाम है। यह सकारात्मक अथवा शून्य हो सकता है; यह नकारात्मक नहीं हो सकता है। चालू वर्ष की सट्टा हानि को किसी अन्य कारोबार अथवा व्यवसाय से लाभ के प्रति समायोजित नहीं किया जा सकता। तथापि कारोबार अथवा व्यवसाय (सट्टा कारोबार से भिन्न) हानि को सट्टा (आगे लाई गई सट्टा हानि के समायोजन के पश्चात शेष) से आय के प्रति प्रतितुलित किया जा सकता है।

(ड.) मद 32थ लाभ तथा अनुलाभ शीर्ष के अन्तर्गत प्रभार्य कुल आय का उल्लेख करें।

(IV) धारा 11(4) के अन्तर्गत कर प्रभार्य आय की संगणना।

(क) मद 33: यहां कारोबारी उपक्रम के खाते में दिखाए गए अनुसार आय का उल्लेख करें। धारा 11 (4) के प्रयोजनार्थ न्यास के अन्तर्गत धारित सम्पत्ति में कारोबारी उपक्रम शामिल है।

(ख) मद 34: यहां धारा 11 (4) के अन्तर्गत कर प्रभार्य आय का उल्लेख करें, जो वह राशि है जिससे मद 32 की धनराशि मद 33 की राशि से अधिक है।

(घ) अनुसूची ग: पूंजीगत अभिलाभ

(क्) इस अनुसूची में वाणिज्यिक सिद्धांतों पर पूंजीगत अभिलाभों की संगणना अपेक्षित है अर्थात् अधग्रहण की लागत, सुधार की लागत और बिक्री के प्रतिफल से हस्तांतरण पर व्यय को घटा करके और उसके बाद धारा 11(1क) की छूट यदि कोई हो, को कम करके।

(ख) यदि किसी पूंजीगत परिसम्पत्ति का एक से अधिक हस्तांतरण किया जाता है तो प्रत्येक हस्तांतरण के लिए पहले अलग से पूंजीगत अभिलाभों की संगणना की जाए और उसके बाद योग किया जाए। अतिरिक्त पूंजीगत अभिलाभों के लिए पृष्ठ की छाया प्रतियों का उपयोग करें।

(ग) मद 1: (क) उपयोग में ली गई शीटों की कुल सं. और (ख) प्रत्येक शीट पर व्यष्टि शीट सं. का उल्लेख करें। (उदाहरण के लिए, यदि 5 शीटों को उपयोग में लिया गया है तो शीटों की सं. 5 होगी, और शीट सं. 1 से 5 तक होंगी।)

(घ) मद 2 से 13: ये प्रत्येक हस्तांतरण के लिए पूंजीगत अभिलाभ की संगणना हेतु हैं:

- मद 2: यहां परिसम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण दें।
- मद 5 यहां हस्तांतरण के माध्यम का संक्षिप्त विवरण दें, जैसे किः-

(i) अधकार की बिक्री, आदान-प्रदान अथवा परित्याग, अथवा

(ii) उसमें निहित किसी अधकार का समापन; अथवा

(iii) किसी कानून के अन्तर्गत उसका अनिवार्य अधग्रहण; अथवा

(iv) ऐसे किसी मामले में जहां परिसम्पत्ति को ऐसे परिवर्तन अथवा संव्यवहार द्वारा उनके द्वारा किए जाने वाले किसी कारोबार के स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में उसके मालिक द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है; उसके द्वारा संव्यवहार किया जाता है; अथवा

(v) कोई लेन देन जिसमें सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53क में सदंर्भित किसी संविदा की प्रकृति के भाग के निष्पादन में की जाने वाली अथवा प्राप्त की जाने वाली किसी सम्पत्ति को अधिकार में लेने की अनुमति शामिल है; अथवा

(vi) कोई लेन देन(चाहे किसी सहकारी समिति, कम्पनी अथवा व्यक्तियों के अन्य संघ का सदस्य होने के कारण, अथवा उसके शेयर अधिग्रहण अथवा किसी करार अथवा किसी व्यवस्था अथवा अन्य कोई ढंग, जो भी हो, द्वारा) जोकिसी अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण को प्रभावित करता हो अथवा उपयोग में समर्थ बनाता हो। अनिवार्य अधग्रहण के मामले में, कृपया एक अलग शीट पर उस विधि का उल्लेख करें जिसके अन्तर्गत उक्त अधग्रहण किया गया है, साथ ही अधिसूचना और संबंधित प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति के कब्ज़े की तारीख का भी उल्लेख करें।

(ड.) मद 10: धारा 11 (1क) में कतिपय पूंजीगत अभिलाभ जिनका उपयोग ट्रस्ट के अन्तर्गत सम्पत्ति के रूप में धारित की जाने वाली अन्य पूंजीगत परिसम्पत्ति के लिए किया जाता है, को कर से छूट प्रदान करने को प्रावधान किया गया है।

(च) मद 11: यहां संबंधित परिसम्पत्ति से उद्भूत अल्पकालिक/ दीघ्रकालिक पूंजीगत अभिलाभों का उल्लेख करें। यह भी विनिर्दिष्ट करें क्या अल्पकालिक अभिलाभ धारा 111क के अन्तर्गत हैं(प्रतिभूतियों के लेन देन से पूंजीगत अभिलाभों पर प्रभार्य प्रतिभूतियां लेन देन कर) अथवा अन्यथा है।

(छ) मद 14: यह (क) सभी परिसम्पत्तियों से कुल अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभों, (ख) कुल दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभों (ग) धारा 111क के अन्तर्गत अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभों और (घ) अन्य परिसम्पत्तियों से अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभों का प्रतिनिधित्व करता है।

(ड.) अनुसूची घः अन्य स्रोतों से आय

(क) मद 1: दौड़ के घोडों के स्वामित्व और रखने से आय को अलग से मद 6 और 7 में संगणना की जानी है। (क),(ख),(ग),(घ) और (ड.) के सामने सकल संख्याअ का उल्लेख करें। (ख) के सामने प्राप्त/ प्राप्त होने वाले ब्याज (जो) की सकल धनराशि का उल्लेख करें। प्राप्त / प्राप्त होने वाले ब्याज की प्रत्येक मद के संबंध में सूचना देते हुए कए अलग शीट संलग्न करें और सहायक साक्ष्य संलग्न करें। (ग) के सामने , मशीनरी, संयत्र अथवा फर्नीचर को किराए पर देने से सकल आय और भवन जहां मशीनरी, संयत्र अथवा फर्नीचर के किराए इसका किराया अलग नहीं किया गया है से भी ऐसी आय को दर्शाएं, बशर्ते इस पर कारोबार अथवा व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ शीर्षक के अन्तर्गत आयकर प्रभार्य नहीं है।(घ) के सामने, संचय के लिए दान सहित स्वैच्छिक अंशदान/दानों की सकल धनराशि को दर्शायें ।

(ख) मद 8: लॉटरियों, क्रासवर्ड पहेलियों, दौड़ों, आदि की जीत विशेष कर दर के अध्यधीन है; अतः एक अलग मद की व्यवस्था की गई है।

(ग) मद 9: यह अन्य स्रोत शीर्षक के अन्तर्गत निवल परिणाम है। दौड़ों घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से हानि को अन्य किसी स्रोत से आय के साथ समायोजन नहीं किया जा सकता है और अनुवर्ती वर्षो में इसी तरह की आय में साथ समायोजन हेतु केवल आगे ले जाया जा सकता है।

(च) अनुसूची ङः धारा 71 के अन्तर्गत चालू वर्ष की हानि का प्रतितुलन विवरण

(क) संगत पंक्तियों में कालम (i) में, शीर्षवार चालू वर्ष की केवल सकारात्मक आय का उल्लेख करें।

(ख) संगत पंक्तियों में कालम (ii) से (iv) तक में शीर्षवार अन्य किसी शीर्ष के अन्तर्गत आय के सामने धारा 71 के अन्तर्गत अन्य किसी शीर्ष के प्रतितुलन के अन्तर्गत चालू वर्ष (वर्षों) की हानि (हानियों) का उल्लेख करें।

(ग) संगत पंक्तियों में कालम (v) में, शीर्ष वार उपर्युक्त अन्तर शीर्ष प्रतितुलन (प्रतितुलनों) के अंतिम परिणाम का उल्लेख करें।

(छ) अनुसूची चः कुल आय का विवरण

(क) मद 1: क से घ: दर्शाये गये के अनुसार समुचित अनुसूचियों से आंकड़ों को अन्तरित करें

(ख) मद 3 एवं 4: यहां धारा 11 के अन्तर्गत प्रावधान किए गए अनुसार समायोजन करें।

(ग) मद 9: यहां निवल कृषि आय के ब्यौरे का उल्लेख करें।

(ज) अनुसूची छः करों का विवरण

(क) मद 1: कतिपय प्रकार की आय के लिए कर की विशेष दरें लागू होंगी जैसे लाटरी, क्रासवर्ड पहेली, जुआ, दांव, घुडदौड़ आदि जीतने से आय के लिए धारा 115ख ख के अन्तर्गत 40% की दर; दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभों के लिए 20% की दर (10% वहां जहां परिसम्पत्ति एक सूचीबद्ध प्रतिभूति है) आदि।

(ख) मद 7: अधिभार सहित संदेय कर पर 3% की दर से उद्गृहीत माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर जोड़े।

(ग) मद 12: उप मद क में संदत्त अग्रिम कर का ब्यौरा अधपन्नों से भरा जाना चाहिए । प्रथम सारणी में बैंक शाखा का नाम, बैंक शाखा बी एस आर कूट (7 अंक), जमा करने की तारीख, चालान क्रम सं. और संदत्त कर की धनराशि भरी जानी चाहिए। अधपन्ने की प्रति संलग्न की जानी अपेक्षित नहीं है। द्वितीय सारणी में प्रत्येक किस्त के लिए संदत्त कुल अग्रिम कर को भरा जाना चाहिए। उप मद ग में अधपन्ने से संदत्त स्व कर निर्धारण बैंक शाखा का नाम, बैंक शाखा बी एस आर कूट(7अंक), जमा करने की तारीख, चालान क्रम सं. और संदत्त कर की धनराशि को भरा जाना चाहिए। अधपन्ने की प्रति संलग्न की जानी अपेक्षित नहीं है।

(घ) मद 14 और 15: 14 के सामने संदेय राशि तथा 15 के सामने प्रतिदेय

राशि का उल्लेख करें।

(झ) अनुसूची ज सामान्य सूचना

मद 2: यहां अपना खाता संख्या सहित बैंक का नाम, 9 अंकीय कूट, बैंक शाखा का पता, खाते का प्रकार विनिर्दिष्ट करते हुए बैंक खाते का ब्यौरा दें। आपके द्वारा प्रतिदाय, यदि कोई हो को आपके बैंक खाते में सीधे क्रेडिट किए जाने की चाह के मामले में 'इ सी एस (वाई/ एन)' बॉक्स में ' वाई' भरे, अथवा अन्य स्थिति में ' एन' भरें ।

(ञ) अनुसूची ञ

यह अनुसूची तभी लागू होगी यदि आप एक कम्पनी हैं । धारा 115 **ञ** ख के अनुसार किसी कम्पनी द्वारा संदेय कर उक्त धारा के अन्तर्गत यथा संगणित, खाता लाभों के 10% से कम नहीं हो सकता ।

(ट) अनुसूची ञ क

वर्ष 2008-09 में सामान्य कर देयता से अधिक संदत्त मैट के लिए क्रेडिट को कर निर्धारण वर्ष 2008-09 की सामान्य कर देयता के साथ प्रतितुलन किए जाने की अनुमति दी गई है। तथापि, क्रेडिट को उस सीमा तक सीमित किया जा सकता है जहां तक कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए सामान्य कर देयता उस वर्ष की मैट देयता से अधिक है।

(ठ) अनुसूची ट

यहां गत वर्ष के अंतिम दिन की स्थित के अनुसार न्यास अथवा संस्था की सभी निधियों के निवेश का उल्लेख करें। दी गई सारणी स्वतः स्पष्ट है ।

(ड) अनुसूची ठ

यहां न्याय अथवा संस्था के निर्माता (निर्माताओं)/ संस्थापक(संस्थापकों)/ न्यासी(न्यासियों) / प्रबंधक(प्रबंधकों) आदि से संबंधित ब्यौरे और उनके नामों और न्यास / संस्था आदि के सृजन की तारीख के साथ उल्लेख करें ।

(ढ) अनुसूची ठक

आयकर अधिनियम की धारा 13क में किसी राजनैतिक दल की उसमें उल्लिखित कतिपय शर्त्तों को पूरा करने के अध्यधीन इसके द्वारा प्राप्त गृह सम्पत्ति से आय , अन्य स्रोतों से आय , अथवा पूंजीगत अभिलाभ अथवा स्वैच्छिक अंशदान से आय शीर्ष् के अन्तर्गत प्रभार्य आय के संबंध में छूट का प्रावधान है। इस धारा का आशय उन शर्त्तों को पूरा करने से संबंधित सूचना का प्रावधान करने से है।

(ण) भाग ख

इस भाग की विभिन्न मदों के सामने यह उल्लेख किया गया है कि इसमें कौन से आंकड़े भरें जाने हैं। केवल निम्नलिखित बिन्दुअ को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

(i) मद 30 में अधिभार की धनराशि भरें। किसी कम्पनी से भिन्न इस फार्म का उपयोग करने वाले कर निर्धारितियों के मामले में यदि कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक है तो 10 % की दर से अधिभार उद्गृहणीय है।

(ii) मद 31 में 3% की दर से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर की संगणना करें ।

(iii) मद 37 में, आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए ब्याज, अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज और अग्रिम कर के विलम्ब के लिए ब्याज की संगणना करें।

सत्यापन

सत्यापन में अपेक्षित सूचना भरें । जो लागू न हो उसे काट दें । कृपया सुनिश्चित करें कि विवरणी जमा करने से पूर्व सत्यापन पर हस्ताक्षर हों । विवरणी पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पद नाम लिखें । कृपया नोट करें कि विवरणी या संलग्न सूचियों में गलत विवरण देने वाला कोई भी व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अन्तर्गत अभियोजन का पात्र होगा तथा दोष सिद्ध होने पर उस धारा के अन्तर्गत उस पर कठोर कारावास और अर्थदंड लगाया जा सकता है।

****